न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 64 / 2020 दायरा दिनांक 19.10.2020

GCMS CASE NO-2020/00064

देवेन्द्र कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति जाट निवासी चक 15 एसजीआर तहसील सूरतगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन चक 6 एलकेएस लक्खासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
3. उप–पंजीयक सूरतगढ़

––अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 सहपठित नियम 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

–:: निर्णय ::– दिनांक : 19 .11.2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने जरिये प्रार्थना निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने सही तथ्य छिपाकर व झूठे तथ्य पेशकर उपनिवेशन तहसीलदार से रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा न. 98 में 25.00 बीघा रकबा सर्वप्रथम टीसी आवंटन करवाया व तत्पश्चात दिनांक 15.05.1992 को उक्त रकबा टीसी से पुख्ता करवाया तथा तदउपरांत तहसीलदार सूरतगढ से दिनांक 13.08.2008 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी के उक्त टीसी आवंटन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी का अगूंठा लगा हुआ है, जबकि सन 1984–85 में अप्रार्थी 1 कक्षा 8 वीं पास था तथा गांव लखासर तहसील पीलीबंगा का रहने वाला ही नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 गांव लखासर तहसील पीलीबंगा का रहने वाला है। वह कभी भी गांव सरदारपुरा लाडाना में रहा ही नही। उसने तो झूठा पता दिखाकर खुद को गांव सरदारपुरा लाडाना का वाशिन्दा दिखाकर रोही सरदारपुरा लाडाना में आवंटन करवाया है। प्रथमतः अप्रार्थी संख्या 1 को कभी टीसी आवंटन हुआ ही नही। अप्रार्थी को किया गया उक्त टीसी आवंटन नियम विरूद्व है क्योंकि तहसीलदार को बिना कमेटी की राय लिये आवंटन करने का अधिकार नहीं है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा ना ही कभी अप्रार्थी के नाम से रकम राज व मालकाना जमा करवाया गया। उक्त टीसी का कभी नवीनीकरण भी नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सही तथ्य छिपाकर व झूठे तथ्य पेश करके आवंटन नियम 1975 के नियमों में आवंटन अधिकारी सूरतगढ से दिनांक 15.05.1992 को रकबा पुख्ता आवंटन करवा लिया। जबकि अप्रार्थी का टीसी नवीनीकरण कभी हुआ ही नही। जैर प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 1 को तो यह भी जानकारी नहीं है कि उसका रकबा कहां स्थित है तथा इस रकबा के आसा–पासा उत्तर दक्षिण में किसका रकबा है। इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी के पास चक 6 एसकेएस के पत्थर न. 6/273 (16) के किला न. 6 ता 25 व पत्थर न. 6/275 के किला न. 1 ता 3 इस प्रकार इन दोनो पत्थर न. में 5.870 है० कमाण्ड रकबा सन 1984–85 से पूर्व का खातेदारी रकबा है व तहसील पीलीबंगा के चक 21 एमओडी के पत्थर न.6/267 के किला न. 6, 6 ता 7, 10 ता 25 में 4.680 है० में 1/2 हिस्सा अनकमाण्ड मय खाला रास्ता व तहसील कोलायत नई तहसील बज्जू के रोही बीठनोक के खसरा न. 428 में [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उसके क[illegible] काश्त [illegible] दिनांक 17.10.1969 से खरीदकर [illegible] चला आ रहा है। जब अप्रार्थी के पासस पहले से इतना बडा नहरी व [illegible] तो [illegible] का अन्य रकबा टीसी आवंटन या खातेदारी अधिकार निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1082

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया किया शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं शिकायत को साबित करने वाले दस्तावेजात एवं तथ्य ही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को टी.सी. भूमि को आवंटन करवाने का पात्र मानते हुए ही रोही सरदारपुरा लाडाना के खसरा नम्बर 98 में 25 बीघा बारानी भूमि वर्ष 1985 संवंत 2041 में टी.सी. पर आवंटन की जाकर कब्जा काश्त अप्रार्थी को सौंप दिया गया था। तब से लेकर आज तक कब्जा काश्त पिछले लगभग 39 वर्षो से अप्रार्थी व उसके परिवार के पास चला आ रहा हैं। जैरप्रकरण रकबा दिनांक 15.05.1992 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया। पूरी जांच करने के बाद ही पुख्ता आवंटन किया गया था। तमाम शर्तो की पूर्ति होने पर आज से 17 वर्ष पूर्व दिनांक 13.08.2008 को सक्षम अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये थे। शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठै है। मुझ अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। शिकायतकर्ता स्वंय मान रहे हैं कि वर्ष 1985 संवंत 2040–41 में रकबा टी.सी. आवंटन हुआ। टी.सी. पट्टा का नवीनीकरण होता रहा व बाद में वर्ष 1992 में पूरी जांच करके आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया। समस्त शर्तो की पूर्ति करने के बाद वर्ष 2008 में खातेदारी भी जारी की गई। आज राजस्व रिकार्ड में पिछले 17 वर्षो से बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा हैं। शिकायतकर्ता का कथन है कि अप्रार्थी ग्राम सरदारपुरा लाडाना का रहने वाला नहीं हैं व तहसील पीलीबंगा के लखासर गांव का भी रहने वाला नहीं हैं तो फिर अप्रार्थी कहां का रहने वाला हैं। टी.सी. आवंटन में मजमें आम में पटवारी हल्का व गिरदावर ने जांच करके अप्रार्थी को गांव सरदारपुरा लाडाना का वांशिदा बताया है व वहीं का वांशिदा मान कर ही भूमि टी.सी. आवंटन की गई थी व कब्जा काश्त रकम मालकाना जमा करवाने के बाद ही टी.सी. आवंटन का नवीनीकरण होता रहा हैं। शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे है। रकबा आवंटन हुए 40 वर्ष हो गये है। आवंटन के समय तहसील में भीड़ बहुत रहती थी व अरायजनवीस दरख्वास्त लिखवाने वाले को कहता था कि अंगुठा लगा तो काश्तकार तुरन्त दरख्वासत पर अगुंठा लगा देता था । शिकायतकर्ता का यह कहना कि प्रथम तो अप्रार्थी को रकबा टी.सी. आवंटन हुआ ही नहीं, जब टी.सी. आवंटन हुआ तो आज किस आदेश के विरूद्ध शिकायत की गई हैं। तहसीलदार द्वारा टी.सी. आवंटन कानूनसम्मत सब नियमों की पालना करते हुए ही टी.सी. आवंटन किया गया था। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है। शिकायतकर्ता ने मुझ अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए झूठे तथ्य दर्ज करवाये है। प्रार्थना पत्र में चक 6 एस.के.एस. व 21 एम.ओ.डी. का रकबा बताया हैं उस बाबत शिकायतकर्ता द्वारा झुठे तथ्य प्रस्तुत किये हैं, तहसील पीलीबंगा का जो रकबा बताया हैं वह रकबा अप्रार्थी के नाम से अपने पिता से विरासतन आया हुआ हैं, उसमें अप्रार्थी के अगर कोई रकबा खरीद का हैं तो वह पिता ने अपनी खातेदारी पैतृक भूमि की आय से ही खरीदा हुआ हैं तो उसमें अप्रार्थी के पुत्रों का जन्म से हक व हिस्सा बनता हैं जिसमें अप्रार्थी का 1/5 वां हक व हिस्सा ही बनता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी ने न तो कोई रकबा छिपाया हैं व न ही शिकायत वाला रकबा गलत तरीके से आंवटन करवाया हैं। अप्रार्थी को रकबा नियमानुसार ही आवंटन किया गया हैं। शिकायत झूठी व निराधार की हुई होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया ही नहीं व न ही धारा 11/14 को. एक्ट के तहत तथ्य छिपाने बाबत इस अदालत में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हैं, चूंकि रकबा कोलोनी एरिया का नहीं होने से यह धारा लागू ही नहीं होती। अतः शिकायत का प्रार्थना पत्र शुरू से ही सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से शिकायत निरस्त होने योग्य हैं। अगर टी.सी. आवंटन कानूनसम्मत नहीं हो तो टी.सी. आवंटन के समय तक ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती हैं। मौजूदा प्रकरण में तो रकबा सन् 1992 में ही पुख्ता आवंटन हो जाने से उस पर आवंटन नियम 1975 [illegible] गये थे व उसके बाद सन् 2008 में रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर हो जाने पर [illegible] (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत 2008 में ही खातेदा[illegible] अधिकार प्रदत् कर दिये थे। खातेदारी अधिकार जारी करने से पूर्व पुनः [illegible] उपरान्त ही खातेदारी अधिकार जारी किये गये थे। जैर शिकायत रकबा वर्ष 2008 से ही खातेदारी होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होकर लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है। किसी व्यक्ति ने टी.सी. आवंटन गलत करवा लिया हैं तो टी.सी. आवंटन रहने के दौरान ही शिकायत की जा सकती हैं, रकबे का टाईटल बदलने के बाद टी.सी. आवंटन की कमी का सहारा लेकर आगे का पुख्ता आवंटन या खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस की पक्ष में न्यायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टांत AIR 1994 P 1128, RRT 2019(1) P 539, RBJ2001 P 126, SSC 1994 P 575, RBJ 1995 HC P 780, RRD 1999 P 128, RRT 2016(1) P 82, RRT 2019(2) P 1065, RRT 2019(1) P 539, RBJ 2016 P 474, RRT 2010(1) P 157, RRD 2001(2) P 206, RRD 1982 P 339, की ओर ध्यान दिलाया।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकर राज ने दौराने बहस राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने पिता की भूमि को छिपाकर जैर प्रार्थना पत्र रकबा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया है। जैर प्रार्थना पत्र रकबा खसरों का बारानी रकबा है। अप्रार्थी के पिता से आये नोशनल हिस्सा मिलाने पर भी रकबा 25 बीघा कमाण्ड अथवा 50 बीघा अनकमाण्ड से अधिक भूमि नही बनती है। टीसी से पुख्ता आवंटन की कार्यवाही के दौरान भी आवंटन अधिकारी के समक्ष तथ्य छुपाकर आवंटन करवाने संबंधी कोई तथ्य सामने नहीं आये तथा नही आवंटन अधिकारी के समक्ष ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य आवंटन एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज करना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner